न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर धौलपुर (राज.)

पीठासीन अधिकारीः— हरफूल सिंह यादव (आर0ए0एस0)
अतिरिक्त जिला कलक्टर धौलपुर

मुकदमा नम्बरः— 09/2015

उनवान प्रकरण

1—सतीश कुमार शर्मा पुत्र श्री डरूआराम शर्मा उम्र 35 वर्ष निवासी इन्द्रा कॉलौनी आउट डोर के पीछे धौलपुर
2—शकील खॉ पुत्र अलामुददीन जाति मुसलमान निवासी मौहल्ला कोटला पुराना शहर धौलपुर
.....प्रार्थीगण

बनाम

1—मोहनलाल पुत्र श्री नत्थीलाल जाति वैश्य निवासी ग्राम तसीमॉ तहसील सैपऊ जिला धौलपुर
2—हरिओम गर्ग पुत्र श्री नत्थीलाल जाति वैश्य निवासी निवासी मित्तल कॉलौनी धौलपुर
3—अशोक गर्ग पुत्र श्री नत्थीलाल गर्ग जाति वैश्य निवासी ग्राम तसीमॉ तहसील सैपऊ जिला धौलपुर
.....अप्रार्थीगण

(रेफरेन्स प्रार्थना पत्र धारा 82 एल0आर0एक्ट)

उपस्थिति अभिभाषकगण :—

प्रार्थी की ओर से — श्री भगवतीप्रसाद झां एडवोकेट
अप्रार्थी सं01 व 2 की ओर से — श्री रघुनाथ प्रसाद शर्मा एडवोकेट
अप्रार्थी सं03 की ओर से — श्री देवेन्द्र कुमार कुलश्रेष्ठ एडवोकेट

निर्णय दिनांक 20.09.2018

प्रार्थी द्वारा यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत रैफरेन्स राजस्थान लैण्ड रेवेन्यू एक्ट की धारा 82 के तहत निम्नानुसार प्रेषित किया गया है कि आराजी साविक खसरा नम्बर 216, 225मि. 222 बांके ग्राम सांडा तहसील व जिला धौलपुर चांदवाडी फौज तथा गैर मुमकिन रास्ता थे तथा बंदोवस्त पूर्व चांदवाडी फौज के उपयोग में आते थे। महकमा बंदोवस्त ने उक्त साविक खसरा नम्बरान को हाल खसरा नम्बर 208, 208/1126, 208/1126/3, 208/1126/4, 208/1173, 208/1175, 208/1176

अति0 जिला कलक्टर
धौलपुर

Scanned by CamScanner

बांके ग्राम सांडा तहसील धौलपुर दर्ज किया गया। उक्त आराजी को दौराने बंदोवस्त कुछ लोगो ने गैर मुमकिन आराजी साविक 216मि. गैर मुमकिन रास्ता व 222, 225 चांदवादी फौज की जमीन को अपने नाम आवंटन करा लिया जो कि कानूनन राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 16 में स्पष्ट प्रावधान है कि उक्त भूमियां किसी भी व्यक्ति को आवटिंत या नियमन नहीं हो सकती है। अप्रार्थीगण ने चांदवाडी तथा गैर मुमकिन रास्ता का आवंटन नियमन गलत तरीके कराया जिसको दौराने बंदोवस्त गैरखातेदारी फिर खातेदारी का इन्द्रांज कराया जो कि कानूनन गलत है। ऐसे गलत आदेशों को कभी भी रैफरेन्स के माध्यम से निरस्त कराया जा सकता है तथा ऐसे गलत इन्द्राजातों से अप्रार्थीगण को किसी भी प्रकार के कोई अधिकार प्राप्त नहीं होते है। उक्त भूमि आज भी मौके पर खाली है अप्रार्थी का कोई कब्जा व दखल मौके पर नहीं है तथा नहीं उक्त जमीन जोती या वोई रही है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 16 में यह स्पष्ट प्रावधान है कि कोई भी व्यक्ति यदि न्यायालय की डिक्री द्वारा भी खातेदारी अधिकार प्राप्त करता है तो उसे ऐसे अधिकार नहीं मिलेंगे तथा राजस्व रिकार्ड में आराजी पुनः चांदवाडी फौज तथा गैर मुमकिन रास्ता दर्ज की जावेगी। अतः प्रा0पत्र स्वीकार फरमाया जाकर रैफरेन्स माननीय राजस्व मण्डल अजमेर को भिजवाये जाने की प्रार्थना की है।

प्रार्थी ने अपने प्रार्थना पत्र के साथ नकल मिलान क्षेत्रफल ग्राम सांडा, नकल खसरा बंदोवस्ती सम्बत 2028 ग्राम सांडा, नकल जमाबन्दी सम्बत 2011 से 2014, नकल जमाबंदी सम्बत 2015 से 2018 एवं नकल जमाबन्दी सम्बत 2010 ग्राम सांडा तहसील धौलपुर पेश की है।

उक्त रेफरेन्स प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या–1व 2 की ओर से श्री रघुनाथ प्रसाद शर्मा एडवोकेट एव अप्रार्थी संख्या–3 की ओर से श्री देवेन्द्र कुंमार कुलश्रेष्ठ एडवोकेट ने वकालतनामा पेश कर प्रार्थना पत्र का जबाव पेश किया जिसमें उन्होने प्रार्थना पत्र में अंकित कथनों को अस्वीकार करते हुये कथन किया कि प्रार्थी ने साविक खसरा नम्बर 216,225,222 के रकवा या क्षेत्रफल का विवरण दर्ज नहीं किया। जो रिकार्ड प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न किया है उसमें 216/2, 222/2, 225/2 अंकित है इसके दूसरे भाग 222/1, 225/1, 216/1 किसके नाम थे इसका भी विवरण प्रस्तुत नहीं है जो खसरा नम्बरान हाल बनाये गये है उसका भी क्षेत्रफल दर्ज नहीं किया है और उससे यह भी प्रकट नहीं होता है कि उक्त नम्बरान हाल 216/2, 225/2, 222/2 से ही बने है। हाल नम्बर चॉदवाडी फौज या गैर मुमकिन रास्ते के नम्बर हों ऐसी भी कोई साक्ष्य पेश नहीं की है। सायल ने यह कहने की कोशिश की है कि वन्दोवस्त विभाग द्वारा उक्त नम्बर की भूमि कुछ लोगों के नाम आवंटित करदी। यहॉ यह कहना उल्लेखनीय होगा कि यदि कोई इन्द्रांज वन्दोवस्त विभाग द्वारा प्राईवेट व्यक्तियों के

अति0 जिला कलक्टर
धौलपुर

Scanned by CamScanner

नाम किये गये है तो वन्दोवस्त विभाग माननीय न्यायालय के अधीन नहीं है और ऐसा कोई रैफरेन्स केवल सैटलमेन्ट कमिश्नर को ही किया जा सकता है। अतः यह प्रार्थना पत्र बिना आधार प्रस्तुत किया गया है। उक्त खसरा नम्बरान का कोई मिलान मिलान क्षेत्रफल से नहीं होता है। यह कथन सर्वथा गलत है कि अप्रार्थीगण ने किसी चॉदवाडी भूमि या गैर मुमकिन रास्ते की भूमि का कोई आवंटन/नियमन वन्दोवस्त विभाग द्वारा कराया हो क्योकि अप्रार्थी संख्या–1 ने यह भूमि खसरा नम्बर 208/1126 रकवा 1 वीधा 10 विस्वा केदारनाथ बंसल पुत्र श्री रामदयाल बसंल से जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 20.7.2005 से क्रय की है इसके अलावा खसरा नम्बर 1175/208 रकवा 1 वीधा 9 विस्वा अप्रार्थी संख्या–3 अशोक कुमार ने अप्रार्थी संख्या–1 को जरिये दानपत्र दिनांक 11.1.2013 को प्रदान की है। खसरा नम्बर 208/1126/4 रकवा 2 वीधा 19 विस्वा का 1/2 भाग जरिये रजिस्टर्ड वयनामा दिनांक 30.10.2004 को अप्रार्थी संख्या–2 ने रामसेवक पुत्र हरिश्चन्द जाति वैश्य से क्रय की है। इसी प्रकार खसरा नम्बर 208/1126/4 रकवा 2 वीधा 19 विस्वा का 1/2 भाग अप्रार्थी संख्या–2 हरिओम गर्ग ने मुन्नालाल पुत्र हरिश्चन्द जाति वैश्य से क्रय की है और सभी खरीदारान ने मौके पर आधिपत्य प्राप्त किया है। अप्रार्थीगण ने मौके पर खरीदी हुई जमीन पर 3 फुट ऊॅची वाउण्ड्री बना रखी है। उक्त भूमि जो अप्रार्थीगण ने वयनामों से खरीदी है वह चॉदवाडी फौज या गैर मुमकिन रास्ते की भूमि नहीं है। जिस भूमि के लिये प्रार्थी ने आरोप लगाया है उसको वन्दोवस्त विभाग द्वारा कुछ व्यक्तियों के नाम आवंटन करना कथित किया है और जो रिकार्ड प्रार्थी ने पेश किया है उसके हाल खसरा नम्बर 208 में से 54 वीधा भूमि कम की जाकर विभिन्न काश्तकारों के नाम दर्ज किया जाना पाया जाता है इसलिये वन्दोवस्त विभाग द्वारा किये गये इन्द्रांज के विरूद्व माननीय न्यायालय को रैफरेन्स किये जाने का अधिकार नहीं है। ऐसा प्रार्थना पत्र केवल सैटलमेन्ट कमिश्नर को ही प्रस्तुत किया जा सकता है। अप्रार्थीगण ने अपने जबाव के विशेष कथन में अंकित किया है कि प्रार्थी ने अपने प्रार्थना पत्र में खसरा नम्बर 208 के कुछ नम्बरान की भूमि बन्दोवस्त विभाग द्वारा कुछ व्यक्तियों के नाम आंवटन/नियमन करना बताया है लेकिन प्रार्थी ने उन व्यक्तियों के कोई नाम या आवंटन/नियमन की कोई तारीख या ऐसा कोई रिकार्ड कि जो हाल खसरा नम्बर विवादित बताये है वो किसको आवंटित किये गये वह अपने पूरे प्रार्थना पत्र में ना तो वर्णित किये गये है और ना ही उनकी कोई तारीख अंकित की गई है और ना ही आवंटन/नियमन का कोई आदेश प्रस्तुत किया गया है। अतः पूरा प्रार्थना पत्र अपूर्ण व विवरण रहित है तथा गलत तथ्यों पर प्रस्तुत किया गया है जो खारिज किये जाने योग्य है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज फरमाया जावे।

पत्रावली वहस हेतु नियत की गई। वहस विद्वान अभिभाषकगण उभयपक्ष सुनी गई। प्रार्थी के विद्वान अभिभाषक ने अपनी वहस में प्रार्थना पत्र में अंकित कथनो

अति0 जिला कलक्टर
धौलपुर

Scanned by CamScanner

को दोहराते हुये कथन किया कि उक्त विवादित आराजी चांदवाडी फौज तथा गैर मुमकिन रास्ता थे तथा बंदोवस्त पूर्व चांदवाडी फौज के उपयोग में आते थे। दौराने बंदोवस्त कुछ लोगो ने गैर मुमकिन आराजी साविक 216मि. गैर मुमकिन रास्ता व 222, 225 चांदवादी फौज की जमीन को अपने नाम आवंटन करा लिया जो कि कानूनन राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 16 में स्पष्ट प्रावधान है कि उक्त भूमियां किसी भी व्यक्ति को आवटिंत या नियमन नहीं हो सकती। अप्रार्थीगण ने चांदवाडी तथा गैर मुमकिन रास्ता का आवंटन नियमन गलत तरीके कराया जिसको दौराने बंदोवस्त गैरखातेदारी फिर खातेदारी का इन्द्रांज कराया जो कि कानूनन गलत है। ऐसे गलत आदेशों को कभी भी रैफरेन्स के माध्यम से निरस्त कराया जा सकता है । उक्त भूमि आज भी मौके पर खाली है अप्रार्थी का कोई कब्जा व दखल मौके पर नहीं है। अतः प्रार्थना पत्र रैफरेन्स स्वीकार फरमाया जावे।

अप्रार्थीगण के विद्वान अभिभाषक ने अपनी बहस में जबाव प्रार्थना पत्र में अंकित बिन्दुओं को दोहराते हुये कथन किया कि जो रिकार्ड प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न किया है उसमें 216/2, 222/2, 225/2 अंकित है इसके दूसरे भाग 222/1, 225/1, 216/1 किसके नाम थे इसका विवरण प्रस्तुत नहीं है जो खसरा नम्बरान हाल बनाये गये है उसका भी क्षेत्रफल दर्ज नहीं किया है और उससे यह भी प्रकट नहीं होता है कि उक्त नम्बरान हाल 216/2, 225/2, 222/2 से ही बने है। हाल नम्बर चॉदवाडी फौज या गैर मुमकिन रास्ते के नम्बर हों ऐसी भी कोई साक्ष्य पेश नहीं की है। यदि कोई इन्द्रांज वन्दोवस्त विभाग द्वारा प्राईवेट व्यक्तियों के नाम किये गये है तो वन्दोवस्त विभाग माननीय न्यायालय के अधीन नहीं है और ऐसा कोई रैफरेन्स केवल सैटलमेन्ट कमिश्नर को ही किया जा सकता है। उक्त खसरा नम्वरान का कोई मिलान मिलान क्षेत्रफल से नहीं होता है। उक्त भूमि चॉदवाडी फौज या गैर मुमकिन रास्ते की भूमि नहीं है। अप्रार्थीगण ने उक्त भूमि जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र से क्रय की है। सभी खरीदारान ने मौके पर आधिपत्य प्राप्त किया है। अप्रार्थीगण ने मौके पर खरीदी हुई जमीन पर 3 फुट ऊॅची वाउण्ड्री बना रखी है। प्रार्थना पत्र में खसरा नम्बर 208 के कुछ नम्बरान की भूमि बन्दोवस्त विभाग द्वारा कुछ व्यक्तियों के नाम आंवटन/नियमन करना बताया है लेकिन प्रार्थी ने उन व्यक्तियों के कोई नाम या आवंटन/नियमन की कोई तारीख या ऐसा कोई रिकार्ड कि जो हाल खसरा नम्बर विवादित बताये है वो किसको आवंटित किये गये वह अपने पूरे प्रार्थना पत्र में ना तो वर्णित किये गये है और ना ही उनकी कोई तारीख अंकित की गई है और ना ही आवंटन/नियमन का कोई आदेश प्रस्तुत किया गया है। अतः पूरा प्रार्थना पत्र अपूर्ण व विवरण रहित है तथा गलत तथ्यों पर प्रस्तुत किया गया है जिसे खारिज फरमाया जावे।

अति0 जिला कलक्टर
धौलपुर

Scanned by CamScanner

हमने विद्वान अभिभाषकगण उभयपक्ष की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध रिकार्ड का अद्योपान्त अवलोकन किया। विद्वान अभिभाषक प्रार्थी का मुख्य रूप से यह कथन है कि आराजी सविक खसरा नम्बर 216, 225मि. 222 ग्राम सांडा तहसील धौलपुर चांदवाडी फौज तथा गैर मुमकिन रास्ता थे तथा महकमा बंदोवस्त ने उक्त सविक खसरा नम्बरान को हाल खसरा नम्बर 208, 208/1126, 208/1126/3, 208/1126/4, 208/1173, 208/1175, 208/1176 दर्ज किया गया। उक्त आराजी को दौराने बंदोवस्त कुछ लोगो ने गैर मुमकिन आराजी सविक 216मि. गैर मुमकिन रास्ता व 222, 225 चांदवादी फौज की जमीन को अपने नाम आवंटन करा लिया जो कि कानूनन उक्त भूमियां किसी भी व्यक्ति को आवटिंत या नियमन नहीं हो सकती है। अप्रार्थीगण ने चांदवाडी तथा गैर मुमकिन रास्ता का आवंटन नियमन गलत तरीके कराया जिसको दौराने बंदोवस्त गैरखातेदारी फिर खातेदारी का इन्द्रांज कराया जो कि कानूनन गलत है जिसे रैफरेन्स किया जावे।

प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र के साथ जो रिकार्ड पेश किया है उसमें 216/2, 222/2, 225/2 अंकित है इसके दूसरे भाग 222/1, 225/1, 216/1 किसके नाम थे इसका विवरण प्रस्तुत नहीं है जो खसरा नम्बरान हाल बनाये गये है उसका भी क्षेत्रफल दर्ज नहीं किया है और उससे यह भी प्रकट नहीं होता है कि उक्त नम्बरान हाल 216/2, 225/2, 222/2 से ही बने है। उक्त खसरा नम्वरान का कोई मिलान, मिलान क्षेत्रफल से नहीं होता है। प्रार्थना पत्र में खसरा नम्बर 208 के कुछ नम्बरान की भूमि बन्दोवस्त विभाग द्वारा कुछ व्यक्तियों के नाम आंवटन/नियमन करना बताया है लेकिन प्रार्थी ने उन व्यक्तियों के कोई नाम या आवंटन/नियमन की कोई तारीख या ऐसा कोई रिकार्ड कि जो हाल खसरा नम्बर विवादित बताये है वो किसको आवंटित किये गये वह अपने पूरे प्रार्थना पत्र में ना तो वर्णित किये गये है और ना ही उनकी कोई तारीख अंकित की गई है और ना ही आवंटन/नियमन का कोई आदेश प्रस्तुत किया गया है। अतः प्रार्थना पत्र अपूर्ण व विवरण रहित होने के कारण खारिज किये जाने योग्य है।

अतः आदेश है कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र रैफरेन्स अपूर्ण व विवरण रहित होने के कारण खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल सुभार होकर नम्बर से कम की जाकर बाद तकमील दाखिल दफतर हो।

निर्णय आज दिनांक 20.09.2018 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय सुनाया गया।

(हरफूल सिंह यादव)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
धौलपुर (राज.)

अति. जिला कलक्टर
धौलपुर

Scanned by CamScanner